असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षाः एक विश्लेषण

मंजुला वाधवा

पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों के जीवन में सुधार लाने के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं जैसे कि ई-श्रम पोर्टल जिसमें अब तक 30.86 करोड़ पंजीकरण हो चुके हैं जिनमें 53 प्रतिशत महिलाएं हैं, पीएम स्वनिधि योजना जिसमें 68 लाख लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर्स जुड़े हुए हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना जिसमें 23.7 लाख पारंपरिक कारीगर जुड़े हैं और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जिससे 81 करोड़ लाभार्थी जुड़े हैं। ये पहल दर्शाती हैं कि भारत अब सामाजिक सुरक्षा के एक समावेशी और न्यायसंगत मॉडल की ओर अग्रसर है। कोविड-19 महामारी के बाद यह और स्पष्ट हो गया है कि सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता है। साथ ही, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अधिकार, सम्मान और स्थायित्व दिलाने के लिए नीतिगत नवाचार और एकीकृत कार्यनीति की आवश्यकता है। यह लेख भारत में असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा की स्थिति, उससे जुड़े मुद्दों, अब तक की प्रमुख योजनाओं और आगे की राह पर केंद्रित है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता असंगठित क्षेत्र का निरंतर बढ़ना है। अनुमान है कि देश के कुल कार्यबल का 90 प्रतिशत से अधिक भाग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है और यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान देता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनके उत्कृष्ट योगदान के बावजूद, इस क्षेत्र के श्रमिक समाज के हाशिए पर ही बने रहते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि इनमें से अधिकांश गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं और अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहते हैं। इसके अलावा, शोषण, दुर्व्यवहार और लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याएं भी उन्हें प्रतिदिन झेलनी पड़ती हैं।

बेशक, भारत सरकार द्वारा कई कानून बनाए गए हैं, किंतु वे अधिकांशतः औपचारिक क्षेत्र के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विशेष रूप से बनाया गया एकमात्र कानून असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 है। इस अधिनियम ने सरकार को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय अपनाने का अधिकार दिया। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों

लेखिका नाबार्ड में उप महाप्रबंधक रह चुकी हैं। ईमेलः manjula.jaipur@gmail.com

को उनके व्यवसाय, रोज़गार की प्रकृति, विशेष रूप से पीड़ित श्रेणियों तथा सेवा श्रेणियों के आधार पर चार वर्गों में विभाजित किया है:

1. **व्यवसाय आधारित असंगठित श्रमिक:** वे श्रमिक जो कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं जैसे छोटे, सीमांत एवं भूमिहीन किसान, कृषि मजदूर, बंटाईदार, मछुआरे, बीड़ी बनाने, लेबलिंग, पैकिंग, पशुपालन, निर्माण कार्य, चमड़ा उद्योग, नमक उत्पादन, ईंट भट्टा श्रमिक, आरा मिल कर्मचारी, तेल मिल श्रमिक, बुनकर, कारीगर, खदान एवं पत्थर खनन क्षेत्र आदि से जुड़े श्रमिक।
2. **रोज़गार की प्रकृति के आधार पर असंगठित श्रमिक:** जैसे कृषि श्रमिक, बंधुआ मज़दूर, प्रवासी श्रमिक, ठेका श्रमिक, और आकस्मिक श्रमिक।
3. **विशेष रूप से पीड़ित श्रेणियों के अंतर्गत असंगठित श्रमिक:** ताड़ी निकालने वाले, सफाईकर्मी, सिर पर बोझ ढोने वाले, पशुचालित गाड़ियों के चालक, माल लोड और अनलोड करने वाले श्रमिक।
4. **सेवा श्रेणी के असंगठित श्रमिक:** जैसे दाई, घरेलू कामगार, महिला और पुरुष मछुआरे, नाई, सब्ज़ी और फल विक्रेता, अख़बार बेचने वाले आदि।

राष्ट्रीय श्रम आयोग 1969 के अनुसार, असंगठित श्रमिकों की परिकल्पना उन व्यक्तियों के रूप में की जा सकती है जो कुछ विशेष बाधाओं के कारण किसी साझा उद्देश्य की पूर्ति हेतु संगठित नहीं हो पाते। इनमें अनियमित और अस्थाई रोज़गार की प्रकृति, अशिक्षा और अज्ञानता, सीमांत और छोटे प्रतिष्ठान जिनमें प्रति श्रमिक कम पूंजी निवेश होता है, प्रतिष्ठानों की व्यापक और बिखरी हुई स्थिति तथा नियोक्ताओं की व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से श्रेष्ठ स्थिति जैसी बाधाएं शामिल हैं।

अब आइए उन समस्याओं पर विचार करें जिनका सामना असंगठित श्रमिकों को अपने जीवन में करना पड़ता है–

- **कम मज़दूरी:** दुर्भाग्यवश असंगठित श्रमिकों के लिए 'समान कार्य के लिए समान वेतन' जैसे सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता और न ही उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन, भत्ते, बोनस या अन्य लाभ दिए जाते हैं। कार्यस्थल पर शोषण, भेदभाव और अन्याय उनके जीवन का एक मौन स्वीकार्य हिस्सा बन चुका है।
- **रोज़गार की अनिश्चितता:** असंगठित श्रमिकों का रोज़गार अस्थाई, अनियमित, आकस्मिक और बिखरा हुआ होता है। वे बिना किसी निश्चित कार्य या दायित्व के अनौपचारिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण वे प्रच्छन्न बेरोज़गारी के शिकार होते हैं। भविष्य निधि अधिनियम, बोनस अधिनियम, पेंशन अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम जैसे कानून उनके लिए लागू नहीं होते। वास्तव में, उनका रोज़गार नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है।
- **कम सुरक्षा:** मध्यस्थों, ठेकेदारों और नियोक्ताओं द्वारा उनका शोषण किया जाता है। वे अस्वच्छ परिस्थितियों में काम करते हैं और श्रमिक या ट्रेड यूनियनों का उनसे कोई विशेष जुड़ाव नहीं होता। उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। बाल श्रमिकों का दुरुपयोग होता है और महिला श्रमिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। अशिक्षा, अज्ञानता और उनके कार्यस्थल की दूरदराज और बिखरी प्रकृति के कारण कानूनी सुरक्षा उन तक नहीं पहुँच पाती।
- **मूलभूत सुविधाओं से वंचित:** असंगठित श्रमिक अत्यधिक भीड़भाड़ और अस्वच्छ परिस्थितियों में कार्य करते हैं, जहाँ

न तो पर्याप्त स्वच्छता होती है और न ही जल सुविधा। वे छोटे, संकुचित और खराब वेंटिलेशन वाले कमरों में रहते हैं। उनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पातीं।

- **परंपरागत तकनीक का प्रयोग:** वे आधुनिक तकनीक का उपयोग करना नहीं जानते। उनका उत्पादन स्थानीय बाजार केंद्रित होता है और श्रम-प्रधान कार्यों के कारण उन पर भारी कार्यभार रहता है। आधुनिक तकनीक की कमी के कारण वे मशीनों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते और कई बार अपनी नौकरी भी खो बैठते हैं।
- **गरीबी और शोषण:** आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के कारण वे असंगठित श्रमिक बने रहते हैं। वे अपनी उत्पादकता बढ़ाने या नए उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक संसाधनों का प्रबंध नहीं कर पाते। उनके कार्य की प्रकृति निम्न गुणवत्ता की होती है, इसलिए उन्हें एकमुश्त कम राशि का भुगतान किया जाता है। परिणामस्वरूप, वे अक्सर ऋण के जाल में फँस जाते हैं। श्रम कानूनों में सुधार के तहत वर्तमान सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 बनाई गई है। इसका उद्देश्य पूर्ववर्ती अनेक कानूनों को समाहित कर एकल रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि कानूनों की अधिकता और उससे उत्पन्न भ्रम को समाप्त किया जा सके।

यह संहिता न केवल संगठित श्रमिकों को, बल्कि असंगठित श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी अपने दायरे में लाती है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को केवल मूल वेतन ही नहीं, बल्कि अन्य सामाजिक लाभ भी प्रदान करना है। इस संहिता में विभिन्न लाभों और योजनाओं से संबंधित कई प्रावधान शामिल किए गए हैं जो श्रमिकों के लिए अत्यधिक लाभकारी हो सकते हैं, क्योंकि पहले ऐसे लाभों को कानून द्वारा अनिवार्य नहीं बनाया गया था। अतः यह आवश्यक है कि असंगठित श्रमिकों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें शोषण से मुक्त किया जाए और रोज़गार की अवधि के दौरान उन्हें मूलभूत सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए।

अब आइए, असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों पर विचार करें। जीवन और विकलांगता सुरक्षा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से प्रदान की जाती है। पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर 2 लाख रुपये का जोखिम कवरेज प्रदान किया जाता है, जिसका वार्षिक प्रीमियम 436 रुपये है। पीएमएसबीवाई के अंतर्गत दुर्घटनाजनित मृत्यु या पूर्ण स्थाई विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये तथा आंशिक स्थाई विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये का कवरेज दिया जाता है, जिसका वार्षिक प्रीमियम 20 रुपये है। जन सुरक्षा योजनाओं की 10वीं वर्षगांठ अप्रैल 2025 तक पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई के अंतर्गत क्रमशः 23.6 करोड़, 51 करोड़ और 7.6 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। अब तक पीएमजेजेबीवाई योजना के अंतर्गत 9 लाख से अधिक परिवारों को 18,398 करोड़ तथा पीएमएसबीवाई योजना के अंतर्गत 1.57 लाख परिवारों को 3,121 करोड़ की राशि के दावे निपटाए जा चुके हैं।

ऑनलाइन जन सुरक्षा पोर्टल के शुभारंभ ने नागरिकों के लिए बैंक शाखाओं या डाकघरों में गए बिना नामांकन करना संभव बनाया है। दावे की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण से निपटान तेज़ हुआ है, जिससे पीड़ित परिवारों को ज़रूरत के समय पर समयबद्ध सहायता मिल पा रही है।

भारत के विशाल असंगठित कार्यबल में दीर्घायु जोखिम और सेवानिवृत्ति सुरक्षा की दोहरी चुनौती का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने 2015 में **अटल पेंशन योजना** शुरू की। यह योजना

सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक बचत को प्रोत्साहित करने हेतु बनाई गई, जिसमें निश्चित पेंशन लाभ प्रदान किया जाता है जो जुड़ने की आयु और अंशदान की राशि पर आधारित होता है। यह योजना मुख्य रूप से गरीब और वंचित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लक्षित करती है और यह भारत की सबसे समावेशी और सुलभ सामाजिक पहलों में से एक के रूप में उभरी है।

अप्रैल 2025 तक, अटल पेंशन योजना में 7.65 करोड़ से अधिक ग्राहकों ने नामांकन किया है, 45,974.67 करोड़ की कुल निधि जुटाई गई है, और महिला भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो अब कुल ग्राहकों का लगभग 48 प्रतिशत है। यह योजना न केवल वृद्धावस्था में आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है, बल्कि निम्न आय वाले परिवारों में दीर्घकालिक बचत की संस्कृति को भी बढ़ावा देती है।

सरकार के निरंतर डिजिटल एकीकरण, महिला भागीदारी और ग्रामीण पहुंच पर ध्यान केंद्रित करने से अटल पेंशन योजना की पहुँच भारत भर में व्यापक हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में नई महिला ग्राहकों की भागीदारी 55 प्रतिशत से अधिक रही और इसी अवधि में कुल नामांकनों में भी तीव्र वृद्धि देखी गई, जिससे अटल पेंशन योजना **'सभी के लिए पेंशन'** के अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर है।

स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ असंगठित श्रमिकों को **आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना** के अंतर्गत वंचना और व्यवसाय आधारित मापदंडों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। यह योजना द्वितीयक और तृतीयक स्तर की अस्पताल में भर्ती संबंधी चिकित्सा देखभाल हेतु प्रति परिवार 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है।

मार्च 2024 में योजना के पात्रता मानदंड का विस्तार करते हुए 37 लाख आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और उनके परिवारों को इसमें शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, सरकार ने एबी-पीएमजेएवाई का विस्तार करते हुए 6 करोड़ परिवारों के लगभग 4.5 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों (70 वर्ष या उससे अधिक आयु) को, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, प्रति वर्ष 5 लाख तक निःशुल्क इलाज का लाभ देना शुरू किया। इसके साथ ही, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है ताकि लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करते समय आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके।

वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में एबी-पीएमजेएवाई के लिए 9,406 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो वित्तीय वर्ष 2025 के 7,300 करोड़ की तुलना में 28.8 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। यह योजना, जो देशभर के सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति परिवार 5 लाख तक की कैशलेस और पेपरलेस स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराती है, 2019 से चालू होने के बाद से लगातार अपने लाभार्थी आधार का विस्तार कर रही है। अभी तक 365 मिलियन (36.5 करोड़) से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।

भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा देने हेतु 2019 में **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना** शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य 15,000 मासिक आय वाले असंगठित श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3,000 की सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है। 31 दिसंबर, 2024 तक इस पोर्टल पर 30.51 करोड़ असंगठित श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। इस योजना में सरकार श्रमिक के अंशदान के बराबर अंशदान करती है (1:1 अनुपात में)। 3,000 की मासिक पेंशन सुनिश्चित कर यह योजना श्रमिकों को सेवानिवृत्ति के बाद गरिमापूर्ण जीवन जीने में सहायता करती है।

बड़े पैमाने पर नामांकन और निरंतर प्रचार प्रयासों के साथ, पीएम-एसवाईएम का उद्देश्य सार्वभौमिक पेंशन कवरेज प्रदान करना है, जिससे भारत में एक अधिक समावेशी सामाजिक सुरक्षा ढांचा तैयार हो सके। यह स्वतंत्रता के बाद पहली बार है कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत करोड़ों श्रमिकों के लिए इस प्रकार की योजना की परिकल्पना की गई है।

यह जानकर संतोष होता है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024-26 के अनुसार, भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 में 24.4 प्रतिशत से बढ़कर

2024 में 48.8 प्रतिशत हो गई है, और 920 मिलियन (92 करोड़) से अधिक लोग किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आ चुके हैं, जिससे वित्तीय सुरक्षा और कल्याण समर्थन सुनिश्चित हुआ है। पिछले एक दशक में, 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, जो विभिन्न सामाजिक सुरक्षा उपायों के कारण संभव हुआ है और सरकार के हस्तक्षेपों का व्यापक और दूरगामी प्रभाव दर्शाता है।

हम **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** को कैसे भूल सकते हैं जिसके अंतर्गत सभी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार, साथ ही वे परिवार जिनमें 15 से 59 वर्ष के बीच का कोई सदस्य नहीं है, जिनमें कोई दिव्यांग सदस्य है, और वे परिवार जो अस्थाई काम करते हैं और केवल आकस्मिक श्रम (कैजुअल लेबर) में लगे हुए हैं। प्रतिमाह 35 किलोग्राम चावल या गेहूं पाने के पात्र हैं, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को प्रतिमाह 15 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है। यह प्रणाली वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के आधार पर लागू की जा रही है, ताकि प्रवासी श्रमिकों को देश के किसी भी हिस्से में काम करते समय खाद्यान्न प्राप्त हो सके। बुनकरों के लिए **स्वास्थ्य बीमा योजना** भी लागू है, जो ऐसे बुनकरों के लिए है जो अपनी कुल आय का कम से कम 50 प्रतिशत हथकरघा (हैंडलूम) बुनाई से अर्जित करते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी 15,000 के स्वास्थ्य पैकेज का लाभ ले सकते हैं, जिसमें पूर्व-निश्चित बीमारियाँ और नई बीमारियाँ दोनों शामिल हैं।

एक अन्य उल्लेखनीय पहल है **प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना**। यह योजना भारत सरकार द्वारा जून 2020 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रारंभ में इस योजना के तहत 10,000 रुपये तक का सुलभ कार्यशील पूंजी ऋण दिया गया, ताकि विक्रेता अपने व्यवसाय दोबारा शुरू कर सकें। अब यह सीमा बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। जून 2025 तक यह योजना 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुँचा चुकी है। ऋण तक आसान पहुँच और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार समय पर ऋण चुकौती पर कुल 7 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी भी प्रदान करती है, जिससे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऋण लेना अधिक किफायती हो जाता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहल है **स्वनियोजित पुनर्वास योजना**, जिसके अंतर्गत चिन्हित मैनुअल स्कैवेंजर्स (हाथ से मैला ढोने वाले), प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति 40,000 रुपये की एकमुश्त नकद सहायता के लिए पात्र होते हैं।

इसके अलावा, मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके आश्रितों को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा समय-समय पर आयोजित प्रशिक्षणों की सूची में से उनकी पसंद के कौशल प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रशिक्षण अवधि में एनएसकेएफडीसी द्वारा उनके खातों में 3,000 मासिक वज़ीफा या समय-समय पर तय की गई राशि भेजी जाती है। इसके बावजूद सामाजिक सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित करने में अब भी अनेक चुनौतियाँ बनी हुई हैं:

- **कवरेज गैप्स:** बड़ी संख्या में श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के किसी भी नेटवर्क से बाहर हैं, जिसके कारण कार्यान्वयन की समस्याएं, जागरूकता की कमी और पात्रता मानदंड सामने आते हैं।
- **वित्तीय सीमाएं:** सीमित राजकोषीय संसाधन सरकार की सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पूरी तरह लागू करने की क्षमता को सीमित करते हैं।
- **प्रशासनिक विखंडन:** विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाएं समन्वय की कमी, दोहराव और अक्षमता का कारण बनती हैं।
- **अनौपचारिक रोज़गार संबंध:** अनेक क्षेत्रों में स्पष्ट नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों का अभाव सामाजिक सुरक्षा

अंशदान व लाभ वितरण को कठिन बना देता है।

- **डिजिटलीकरण की कमी:** तकनीक आधारित योजनाओं का लाभ सबसे कमजोर श्रमिक वर्ग तक नहीं पहुँच पाता क्योंकि उनके पास डिजिटल उपकरणों व साक्षरता की सीमाएं होती हैं।

इन चुनौतियों के बावजूद यदि सकारात्मक पहलुओं पर नज़र डालें, तो जून 2025 तक पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 68 लाख ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिससे स्ट्रीट वेंडर्स को सीधा लाभ मिला है। 76.28 लाख स्ट्रीट वेंडर्स अब औपचारिक आर्थिक प्रणाली का हिस्सा बन चुके हैं। ई-श्रम पोर्टल पर 30.86 करोड़ असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से 53 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं, जो असंगठित क्षेत्र में लैंगिक समानता की दिशा में संकेत करती हैं।

पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लगभग 23.7 लाख कारीगरों ने पंजीकरण कराया है और वे वित्तीय सहायता तथा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न मिल रहा है। इसका कुल अनुमानित बजट वर्ष 2028 तक 11.80 लाख करोड़ है।

इस प्रकार, गरीबी उन्मूलन से लेकर स्टार्टअप को गति देने तक, प्रधानमंत्री मोदी का संदेश स्पष्ट है: **"सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास"**। यह अब केवल एक नारा नहीं रह गया है, बल्कि समावेशी विकास की दिशा में एक संरचनात्मक परिवर्तन का परिचायक बन चुका है।

आगे की राह

एक अधिक समावेशी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की दिशा में ईमानदारीपूर्वक प्रयास करने हेतु, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप और नीतिगत नवाचार आवश्यक हैं। इस दिशा में कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं:

- **सार्वभौमिक पंजीकरण:** आधार से जुड़ी एक एकीकृत श्रमिक पंजीकरण प्रणाली का निर्माण, जिससे लाभार्थियों की पहचान और लाभों की डिलीवरी आसान हो सके।
- **स्थानांतरणीय लाभ:** ऐसी योजनाओं का डिज़ाइन तैयार करना, जिनके लाभ श्रमिकों के नौकरी या स्थान बदलने पर भी उनके साथ बने रहें।
- **सरलीकृत अंशदान प्रणाली:** अनियमित आय वाले असंगठित श्रमिकों की परिस्थितियों के अनुकूल आसान भुगतान प्रणाली का विकास करना।
- **सार्वजनिक जागरूकता अभियान:** असुरक्षित श्रमिकों को उपलब्ध योजनाओं और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी बढ़ाना।
- **बहुपक्षीय वित्तीय मॉडल:** ऐसे नवाचारपूर्ण वित्तपोषण तंत्र तलाशना, जिनमें नियोक्ता, श्रमिक और सरकार सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान दें।

इन पहलों को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि श्रमिकों को उनके अधिकारों और उपलब्ध उपचारों के बारे में जागरूक किया जाए, क्योंकि अधिकांश श्रमिक आज भी अपनी कानूनी और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अधिकारों से अनभिज्ञ हैं। हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द सदा स्मरण रखने चाहिए: "सामाजिक ताने-बाने में बदलाव लाने के लिए किए गए छोटे-छोटे प्रयास भी अंततः बड़े फल देते हैं।" ❑